बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक 10.11.2020
की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 10.11.2020 को मध्याह्न 1:00 बजे आयोजित कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	–	कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. हरिभाऊ गोपीनाथ खांडेकर	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
4. प्रो. सुनील काबिया	–	सदस्य
5. प्रो. एम. एम. सिंह	–	सदस्य
6. प्रो. देवेश निगम	–	सदस्य
7. डा. वी. के. सिंह	–	सदस्य
8. डा. पुनीत बिसारिया	–	सदस्य
9. डा. महेन्द्र सिंह	–	सदस्य
10. डा. नीलम कुमार सिंह	–	सदस्य
11. श्री नारायण प्रसाद	–	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

कोविड– 19 को दृष्टिगत रखते हुये शासन के निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये बैठक प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम डा. साधना कौशिक, प्रो. एस. पी. सिंह, प्रो. आर. के. सैनी, डा.सुशील बाबू एवं डा. एस. आर. रजक का कार्यकाल समाप्त होने पर उनका आभार व्यक्त किया गया तथा नवनियुक्त सदस्य प्रो. सुनील काबिया, प्रो. देवेश निगम, डा. नीलम कुमार सिंह, डा. सत्येन्द्र सिंह, डा. दुर्गेश शुक्ल एवं डा. चन्द्रकुमार चौरसिया का स्वागत किया गया।

इसके उपरान्त परिषद् के निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारम्भ हुई –

1. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक .28.08.2020 की कार्यवाही का श्री अनिल कुमार झरबड़े, सहायक आचार्य के त्याग–पत्र सम्बन्धी निर्गत पत्रांक संख्या–बु0वि0/ प्रशा0/ 2020/ 7598–7602 दिनांक 21.09.2020 त्रुटिवश गलत अंकित हो जाने के उपरान्त संशोधन के साथ सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा उपर्युक्त संशोधन के साथ अपनी पूर्व बैठक दिनांक 28.08.2020 की सम्पुष्टि की गई।

2. **प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 21.10.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 21.10.2020 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.11.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.11.2020 की कार्यवाही का निम्नवत अनुमोदन किया गया –

(1) दिनांक : 06.03.2020 को सम्पादित वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

दिनांक : 06.03.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की संस्तुति प्रदान की गयी।

(2) **शासन के आदेशानुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 में सम्मिलित सम्परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में उद्घाटित आपत्तियों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर विचार।**

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019–2020) की बैठक में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 2015–16 वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लेखा अभिलेखों की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सम्परीक्षकों द्वारा की गयी सम्परीक्षा में उद्धृत कतिपय आपत्तियां सम्मिलित हैं, जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी समस्त साक्ष्यों सहित विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित की गयीं हैं।
शासन स्तर पर आहूत उक्त से सम्बन्धित समीक्षा बैठक दिनांक 25.10.2020 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के सम्बन्ध में वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के अनुसार वित्त समिति द्वारा प्रेषित की गयीं व्याख्यात्मक टिप्पणियों एवं उनके साथ संलग्न कार्यालयीय अभिलेखों के विस्तृत परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार संस्तुतियां प्रदान की गयीं –
<u>सम्परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14</u>
आडिट आपत्ति संख्या – भाग–क प्रस्तर–1 (ड़)(च)
1 (ड़) निविदा शर्त में परिवर्तन कर विलम्ब दण्ड की कटौती कम दर से करने से रू0 3,29,980/– का अधिक भुगतान/आर्थिक क्षति।

1 (च) विलम्ब दण्ड की कटौती न करने से मै0 गोपसंस प्रिन्टर्स नोयडा को अधिक भुगतान रू0 12,548/–

शासन का निर्णय – जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही कराते हुये वित्त समिति/कार्य परिषद की संस्तुतियों सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराना।

<u>वित्त समिति की संस्तुति</u> – व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संलग्न साक्ष्यीय अभिलेख सही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रेषित की गयीं व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही है एवं आपत्ति निरस्त करने योग्य है तथा जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

<u>सम्परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14</u>

<u>भाग–क प्रस्तर–1 (ढ़) कयादेश में अंकित सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री की आपूर्ति लेने से अनियमित भुगतान</u>

शासन का निर्णय – जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही कराते हुये वित्त समिति/कार्य परिषद की संस्तुतियों सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराना।

<u>वित्त समिति की संस्तुति</u> – व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संलग्न साक्ष्यीय अभिलेख सही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रेषित की गयीं व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही है एवं आपत्ति निरस्त करने योग्य है तथा जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

<u>सम्परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14</u>

भाग-क प्रस्तर-9(च) एक ही निर्माण कार्य दो एजेन्सियों से कराये जाने, निर्माण कार्य की स्थिति सन्देहास्पद होने के कारण अमान्य भुगतान ।

शासन का निर्णय - लोक निर्माण विभाग से निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराना।
वित्त समिति की संस्तुति - व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संलग्न साक्ष्यीय अभिलेख सही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रेषित की गयीं व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही है एवं आपत्ति निरस्त करने योग्य है, किन्तु शासन के आदेशानुसार सम्परीक्षा में अंकित निर्माण कार्यो का सत्यापन स्थानीय लोक निर्माण विभाग से करा लिया जाये तथा आख्या शासन को प्रेषित की जाय।

(3) **बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के कालातीत वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र व्यय देयक के भुगतान पर विचार।**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.09.2018 में लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र व्यय देयक एक वर्ष में प्रस्तुत न किये जाने के कारण कालातीत हो गये हैं। समिति द्वारा यह भी निदेश दिये गये कि समय से परीक्षा केन्द्र व्यय देयक विश्वविद्यालय को प्रस्तुत न करने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु महाविद्यालय के प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय एवं कालातीत देयक का भुगतान न किये जाने समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(4) **डी.वी. कालेज, उरई के वर्ष 2015 से 2017 तक के कालातीत परीक्षा केन्द्र व्यय देयक के भुगतान पर विचार।**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.09.2018 में लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र व्यय देयक एक वर्ष में प्रस्तुत न किये जाने के कारण कालातीत हो गये हैं। समिति द्वारा यह भी निदेश दिये गये कि समय से परीक्षा केन्द्र व्यय देयक विश्वविद्यालय को प्रस्तुत न करने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु महाविद्यालय के प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय एवं कालातीत देयक का भुगतान न किये जाने समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(5) **यू.जी.सी./अन्य केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना के पी.आई. के नाम से रू0 10,000/- खुदड़ा राशि (इम्प्रेस्ट मनी) स्वीकृत करने पर विचार।**

विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक विभागों शोध एवं उच्चीकरण कार्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य केन्द्रीय/राजकीय संस्थाओं द्वारा शिक्षकों द्वारा प्रेषित परियोजनाओं के आधार पर शोध परियोजनायें स्वीकृत की जातीं हैं, जिसमें सम्बन्धित परियोजना के पी.आई. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्यो को सम्पादित किया जाता है एवं परियोजना में स्वीकृत मदों/धनराशि के अनुसार मदवार भुगतान प्रस्तुत किया जाता है।

परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से परियोजना के दैनिक व्ययों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित परियोजना के कन्टेन्जेन्सी/कन्ज्यूमेबुल मद से रू0 10,000/- खुदड़ा राशि (इम्प्रेस्ट मनी) स्वीकृत करने के प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति समिति द्वारा प्रदान की गयी। व्यय की सीमा उक्त मद में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि तक होगी एवं जो सम्बन्धित पी.आई. के नाम से होगा तथा इसके लिये पृथक से एक पंजिका पी.आई. द्वारा अनुरक्षित की जायेगी।

(6) **विश्वविद्यालय के अभियन्त्रण एवं तकनीकी संस्थान के विस्तार एवं फार्मेसी संस्थान में प्रथम तल पर कक्षाओं आदि के निर्माण सम्बन्धी अभियन्त्रण अनुभाग के प्रस्ताव हेतु पुर्नविनियोग पर विचार।**

उक्त कार्यो हेतु प्रस्तुत किये गये पुनर्विनियोग के अनुमोदन की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। (संलग्नक-1)।

(7) **महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर वर्ग को यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दरों के निर्धारण पर विचार।**

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर वर्ग को यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति की गयी -

"विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यों हेतु स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत आने वाले शिक्षकों/परीक्षक नियत मानदेय पर नियुक्त होते हैं न कि ग्रेड वेतन के अनुसार। इसलिये उनको शासनादेश संख्या 3/ 2019/ जी -2 -41/ दस -2019 -601/2011 दिनांक 05 मार्च, 2019 के अनुसार सामान्य परिस्थिति में यात्रा-भत्ता लेवल-6 से कम की श्रेणी का तथा झांसी शहर हेतु दैनिक भत्ता लेवल-5 से कम की श्रेणी का रू0 300/- (रू0 तीन सौ) मात्र अनुमन्य होगा। इसके साथ-साथ समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परीक्षा नियन्त्रक अन्य विश्वविद्यालयों से भी यह जानकारी कर लें कि वहां पर उक्त से सम्बन्धित क्या व्यवस्थायें हैं तथा विस्तृत प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।" (संलग्नक-2)

8. अन्य मद, अध्यक्ष की अनुमति से।

8.1 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रयोगिक परीक्षा एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु बाह्य/आन्तरिक परीक्षकों को विषयवार/प्रश्नपत्रवार शासनादेश संख्या 176/सत्तर-1-2019-15 (32)/81 दिनांक 09 मार्च, 2019 के संलग्नक में प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्व की भांति दिये जाने की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी तथा परीक्षा नियन्त्रक को यह निर्देश दिये गये कि उक्त के सम्बन्ध में शासन से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाय। (संलग्नक-3)

8.2 वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित पाठ्यकमों में की गयी शुल्क वृद्धि को कार्यालय आदेश संख्या बु.वि./आर.सी./2020/2834 दिनांक 24.09.2020 में उल्लिखित बी. टेक (समस्त ब्रान्च) एवं बी.फार्मा पाठ्यकम में की गयी शुल्क वृद्धि की धनराशि को 50 प्रतिशत कम किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। उक्त निर्गत कार्यालय आदेश के अनुसार केवल चालू सत्र 2020-21 में ही शुल्क लिया जायेगा। आगामी सत्र से पूर्व में की गयी शुल्क वृद्धि के अनुसार शुल्क लिया जायेगा। (संलग्नक-4)।

8.3 शिक्षक सहायकों को मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 249/पी.एस.एम.एस./2020 दिनांक 04 अप्रैल के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार लाक डाउन की अवधि (मार्च,2020 एवं अप्रैल,2020) के किये गये भुगतान के अनुमोदन की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। (संलग्नक-5)।

8.4 वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत पुस्तकालय सहायकों के मानदेय में की गयी बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन को पुनः तत्समय गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

8.5 शासनादेश संख्या 3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011 दिनांक 05 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वयं के वाहन हेतु पेट्रोल वाहन के लिये रू0 10/- प्रति कि.मी. तथा डीजल वाहन हेतु रू0 7.50/- पै प्रति कि.मी. की दरें निर्धारित हैं (शासनादेश में अंकित प्रतिबन्ध के अनुसार)। चूंकि वर्तमान में डीजल एवं पैट्रोल की दरें लगभग समान हो गयीं हैं, इसलिये डीजल वाहन की दरें भी पैट्रोल वाहन की दरों के अनुसार किया जाना सुसंगत प्रतीत होता है। उक्त के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से कुलसचिव जानकारी प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

8.6 सामान्य प्रचलित आन लाइन व्यवसायिक वैबसाइटों के माध्यम से भी विश्वविद्यालय में की जाने वाली सामान्य कयदारियों (Procurement) हेतु रू0 20,000/- तक की फुटकर खरीद तथा उत्कथन सीमान्तर्गत कयदारियों को समिति के माध्यम से किये जाने संस्तुति प्रदान की गयी, किन्तु ऐसी कयदारी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व कय करने वाले अधिकारी का होगा।

<u>संलग्नक–1</u>

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

आय–व्ययक 2020–21 के मदों का पुनर्विनियोग

(अ) जिन शीर्ष में स्थानान्तरित की जानी है।

क. सं.	मद	मूल प्राविधान (रू.)	दिनांक 31.08.2018 तक का व्यय (रू.)	संशोधित प्राविधान (रू.)	स्थानान्तरित धनराशि (रू.)
1.	अभियन्त्रण एवं तकनीकी भवन का विस्तार	1,00,000	--	16,00,000	15,00,000
2.	फार्मेसी संस्थान में प्रथम तल पर दो नग कक्षाओं, बरामदा, शिक्षक केबिन का निर्माण	--	--	58,00,000	58,00,000
	कुल योग :–				73,00,000

(ब) जिन शीर्षो से स्थानान्तरित की जानी है।

क. सं.	मद	मूल प्राविधान (रू.)	दिनांक 31.08.2018 तक का व्यय (रू.)	संशोधित प्राविधान (रू.)	स्थानान्तरित धनराशि (रू.)
1.	पुस्तकालय भवन का विस्तार	1,00,00,000	--	27,00,000	73,00,000
	कुल योग :–				73,00,000

4. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09.10.2020 एवं 07.11.2020 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09.10.2020 एवं 07.11.2020 की कार्यवाहियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. **विद्या परिषद् की ऑनलाइन आकस्मिक बैठक दिनांक 09.11.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की ऑनलाइन आकस्मिक बैठक दिनांक 09.11.2020 की कार्यवाही को निम्नवत अनुमोदन किया गया –

ऑनलाइन बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मान्नीय कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

बिन्दु संख्या–1. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग संस्थान मे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन की आवश्यकतानुसार शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– डीन इन्जीनियरिंग द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग संस्थान मे नेशनल बोर्ड ऑफ एकीडिटेशन की आवश्यकतानुसार निम्नवत् शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF** AT ***INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY*** AS PER NBA REQUIREMENT

COURSE : B.TECH. MECHANICAL ENGINEERING

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	OFFICE SUPERINTENDENT* (1 FOR DEAN OFFICE)	01	-	01
2.	STENO CUM DATA ENTRY OPEARTOR*(DEAN OFFICE)	01	-	01
3.	DATA ENTRY OPERATOR*	02	01	01
4.	LAB ASSISTANT	02	-	02
5.	LAB ATTENDANT)	02	-	02
6.	PEON*(1 FOR DEAN OFFICE	02	01	01
7.	ROUTINE GRADE CLERK *(1 FOR DEAN OFFICE)	03	-	03
8.	CARE TAKER*	02	-	02
9.	PLUMBER*	01	-	01
10	MACHINIST	01	-	01
11.	WORKSHOP SUPRINTENDANT**	01	-	01
12.	FITTER**	01	-	01
13.	WELDER**	01	-	01
14.	CARPENTER**	01	-	01
15	SMITH	01	-	01

*REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF AT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** AS PER NBA REQUIREMENT*

COURSE: B.TECH. BIOTECHNOLOGY

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

REQUIREMENT OF NON TEACHING STAFF AT I.E.T. AS PER NBA REQUIREMENT

COURSE: B.TECH. BIOMEDICAL ENGINEERING

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

*REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF** AT **INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** AS PER NBA REQUIREMENT*

COURSE: B.TECH. COMP SC & ENGG

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

*REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF** AT **INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** AS PER NBA REQUIREMENT*

COURSE: B.TECH. ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

*REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF** AT **INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** AS PER NBA REQUIREMENT*

COURSE : B.TECH. ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

*REQUIREMENT OF **NON TEACHING STAFF** AT INSTITUTE **OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** AS PER NBA REQUIREMENT*

COURSE: B.TECH. FOOD TECHNOLOGY ENGINEERING

S.NO.	DESIGNATION	Required as per NBA	Existing	To be created
1.	LAB ASSISTANT	02	-	02
2.	LAB ATTENDANT/PEON	02	-	02
3.	ROUTINE GRADE CLERK	01	-	01
4.	PEON	01	-	01

***Qualification:** As per Bundelkhand University statutes dated....... (As amended up to date) and UGC /AICTE norms as applicable*

***Reservation and Age:** Applicable as per University/ UP state govt norms and rules.*

REQUIREMENT OF FACULTY POSITIONS AT *INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY* AT HIGHER LEVEL AS PER NBA REQUIREMENT

		Required as per NBA		*Existing Posts*		*To be created*	
S.No.	**Department Name**	Prof.	Assoc. Prof	Prof.	Assoc. Prof	Prof.	Assoc. Prof.
1.	**B.Tech. Biotechnology**	01	02	-	-	**01**	**02**
2.	**B.Tech. Biomedical Engg**	01	02	-	-	**01**	**02**
3.	**B.Tech. Comp Sc & Engg**	01	02	-	-	**01**	**02**
4.	**B.Tech. E. & C. Engg**	01	02	-	-	**01**	**02**
5	**B.Tech. E.& I. Engg**	01	02	-	-	**01**	**02**
6.	**B.Tech. Food Tech.**	01	02	-	-	**01**	**02**
7.	**B.Tech. Mechanical Engg.**	01	02	-	-	**01**	**02**

***Qualification**: As per Bundelkhand University statutes dated....... (As amended up to date) and UGC /AICTE norms as applicable.*
***Reservation and Age**: Applicable as per University/ UP state govt norms and rules.*

6. **स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों चिकित्सा/ विशेषाधिकार अवकाश को अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए संचित करने के प्रावधान की भॉति एस0एफ0एस0 के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भी चिकित्सा/विशेषाधिकार अवकाशों को अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए संचित किये जाने के प्रावधान को अनुमन्य करने हेतु परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् ने सर्व सम्मति से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों हेतु चिकित्सा/ विशेषाधिकार अवकाश को अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए संचित करने के प्रावधान की भॉति एस0एफ0एस0 के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों के भी चिकित्सा/विशेषाधिकार अवकाशों को अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए संचित किये जाने के प्रावधान को अनुमन्य किया गया।

7. **विश्वविद्यालय पत्रांक–बु0वि0/प्रशा0/2020/8038–45 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार, निलम्बित वरिष्ठ सहायक को ग्रेच्युटी विरहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी । उक्त पत्र परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् उपर्युक्त पत्र द्वारा की गई कार्यवाही से सूचित हुई।

8. **राजभवन के आदेश के कम में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी के गठन के सम्बन्ध में सूचना।**

परिषद् उपर्युक्त पत्र द्वारा की गई कार्यवाही से सूचित हुई।

9. **डा. नीता यादव – सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में सहयुक्त आचार्य के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके प्रार्थना पत्र के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/7823–30 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा उन्हें दिनांक 13.10.2020 से 12.10.2021 तक कुल एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। अतः पत्र परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

   डा. नीता यादव – सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में सहयुक्त आचार्य के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके प्रार्थना पत्र के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/7823–30 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा उन्हें दिनांक 13.10.2020 से 12.10.2021 तक कुल एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश को परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

10. **दिनांक 08.11.2020 को आहूत भू– विज्ञान विभाग में सी.ए.एस. के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की बैठक में साक्षात्कार के आधार पर की गई संस्तुतियों पर विचार।**

   परिषद् के समक्ष दिनांक 08.11.2020 को **आहूत भू– विज्ञान विभाग में सी.ए.एस. के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु** उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार **गठित चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफे प्रस्तुत किये गये। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित शिक्षकों को उनके सामने अंकित पदों पर प्रोन्नति हेतु समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का निम्नवत् अनुमोदन किया गया –**

डा. बी. सी. जोशी	– **सह आचार्य से आचार्य (AGP 9000 से 10000)**
डा. एस. सी. भट्ट	– **सह आचार्य से आचार्य (AGP 9000 से 10000)**
डा. वी. के. सिंह	– **सह आचार्य से आचार्य (AGP 9000 से 10000)**
डा. पी. जे. रत्नाकर	– The Committee does not recommand him for promotion III AGP 8000/- Asst. Prof.

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

    (1) **श्री सचिन उपाध्याय को विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में योजित वादों में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/विधिक/2020/785 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया। परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

    परिषद द्वारा श्री सचिन उपाध्याय को विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में योजित वादों में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/विधिक/2020/785 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया। वे विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रस्तुत किये गये वादों पर विश्वविद्यालय की पैरवी करेंगे।

    (2) **विश्वविद्यालय में स्थायी एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी किसी भी दशा में किसी भी महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अथवा अन्य किसी रूप में परोक्ष एवं अपरोक्ष सदस्य अथवा अन्य किसी भी पद पर नहीं रहेंगे, इस सम्बन्ध में चर्चा।**

    परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(3) **श्री हरीशंकर यादव – अनिवार्य सेवा निवृत्त कार्यालय अधीक्षक के प्रकरण में गठित अनुशासन समिति की कार्यवाही परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् के समक्ष श्री हरीशंकर यादव – अनिवार्य सेवा निवृत्त कार्यालय अधीक्षक के प्रकरण में गठित अनुशासन समिति की निम्नवत कार्यवाही प्रस्तुत की गई–

"समिति ने डा. हरीशंकर यादव द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 19.06.2019 तथा दिनांक 17.02.2020 को आहूत अनुशासन समिति की बैठक में उनके द्वारा दिये गये मौखिक प्रत्यावेदन पर विचार किया।

उनकी अपील एवं मौखिक प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात समिति का मत है कि जांच के दौरान डा. हरीशंकर यादव को पर्याप्त अवसर दिये गये हैं तथा उनके विरूद्व साक्ष्य भी प्राप्त हुये हैं। परीक्षा व्यवस्था की शुचिता बनाये रखना विश्वविद्यालय का दायित्व है। इस दृष्टि से डा. हरीशंकर यादव को दिया गया दण्ड न्यायोचित है।

अतः डा. हरीशंकर यादव का अपीलीय प्रत्यावेदन 19.06.2019 को अस्वीकृत करते हुये प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।"

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में डा. विजय खैरा एवं डा. हरिभाऊ गोपीनाथ खांडेकर माननीया कुलाधिपति नामित सदस्यों द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि वह पिछले दो वर्षों से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के सदस्य रहे हैं वर्तमान कुलपति के साथ उनका कार्य अनुभव अत्यन्त सुखद और अच्छा रहा है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

10-11-20
(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

10/11/20
(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति